बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— **खरीफ विपणन मौसम 2015 – 16 के अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम (05.12.15 से 31.03.16) तथा सी0एम0 आर0 कार्यक्रम (05.12.15 से 30.06.16) के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम को कार्यशील पूँजी के रूप में विभिन्न बैंकों से लिए जाने वाले ऋण कुल 2,000.00 करोड़ रूपये (दो हजार करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत राज्य में धान/चावल अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा धान अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। साथ ही राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम को अनुमंडल स्तर पर क्रय केन्द्र स्थापित कर अधिप्राप्ति कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा सीधे किसानो से धान का क्रय किया जाना है एवं पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर तैयार सी0एम0आर0 नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल एवं अनुमंडल स्तर पर निगम क्रय केन्द्र से RTGS/NEFT के माध्यम से क्रय के पश्चात तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को धान बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।

2. खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 30 लाख मे0 टन के विरूद्ध दिनांक 30.06.2016 तक कुल–20.10 लाख मे0 टन सी0एम0आर0 प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में कार्यशील पूँजी की व्यवस्था हेतु बेस रेट पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए निगम के निदेशक पर्षद की 144वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, जिसके आलोक में निदेशक पर्षद द्वारा अलग से स्क्रो (Eschrow) खाते में प्राप्त बैंक गारंटी की राशि रखने एवं अलग से लेखा संधारित करने के शर्त पर अनुमोदित किया गया।

3. निगम पर्षद की 144वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अंतर्गत किये जा रहे धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु क्रियाशील पूँजी के रूप में छः बैंकों क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा–300 करोड़, केनरा बैंक–500 करोड़, इंडियन बैंक–500 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया–400 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक–200 करोड़, ओ0बी0सी0 बैंक– 100 करोड़ कुल 2,000 करोड़ रूपये बेस रेट पर ऋण हेतु सरकार की बैंक गारंटी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम को दिया जाने वाला कुल 2,000 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी की राशि मात्र धान अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ही मान्य होगा एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात उक्त राशि को संबंधित बैंको को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः राज्य खाद्य निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी 30.03.2017 तक ही प्रभावी होगा।

5. राज्य खाद्य निगम के निदेशक पर्षद की 144वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015–16 हेतु प्राप्त ऋण की राशि को पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संधारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संधारित किया जायेगा।

6. राज्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु छः राष्ट्रीयकृत बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इण्डियन बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, कारपोरेशन बैंक एवं ओ0बी0सी0 बैंक से बेस रेट पर ऋण स्वरूप दिए जाने वाले कुल 2,000.00 करोड़ रूपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

18/2/2016
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

D:\Section II\2012 Sec_4\KMS_12-13\Sankalp.doc

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 1201 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.02.16

प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

18/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 1201 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.02.16
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 1201 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.02.16
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 1201 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.02.16
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित निर्णय के यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

18/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 1201 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.02.16
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 16.02.2016 में मद संख्या**–13 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

18/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 1201 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.02.16
प्रतिलिपि – सचिव कोषांग / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 1201 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.02.16
प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

18/2/2016
सरकार के सचिव ।